



जालौन पुलिस

दिनांक -08.11.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विकशन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये कुल 02 अभियोग में 03 अभियुक्तगण को मान० न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्त का विवरण निम्नवत है -

प्रकरण प्रथम - अभियुक्त अर्जुन पुत्र छोटेलाल बाल्मीकि नि० ग्राम सहाव कोतवाली जालौन जनपद जालौन द्वारा 15 वर्षीय बालिका के साथ गलत कृत्य किए जाने पर वादी की तहरीर के आधार पर दिनांक 24.04.2017 को थाना चुर्खी में मु०अ०सं० 54/2017 धारा 363/366/376(2)(i) व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 08.11.2024 को मा० न्यायालय एडीजे/पॉक्सो कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा उपरोक्त अभियुक्त अर्जुन को दोषी पाते हुये 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 60,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण द्वितीय- थाना सिरसाकला में मु०अ०सं० C-1/2006 धारा 323/504/506 भादवि बनाम 1. राकेश यादव 2. रंजीत यादव पुत्रगण महाराज सिंह यादव निवासीगणग्राम पाल थाना सिरसाकलार जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा० न्यायालय जे.एम. कालपी, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण 1.राकेश यादव 2. रंजीत यादव उपरोक्त को दोषी पाते हुये प्रत्येक को 2,000-2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।